ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 359-360

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

नगरीकरण एवं अन्तर्जातीय विवाह

रिंकु सिंह
एम0ए0 पी–एच0डी0, समाजशास्त्र, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया (बिहार), भारत

Received- 09.08.2020, Revised- 12.08.2020, Accepted - 15.08.2020 E-mail: - dr.ramnyadav@gmail.com

सारांश : ***नगरीय समुदाय में अन्तर्जातीय विवाह का प्रचलन होने लगा है। अन्तर्जातीय विवाह यद्यपि भारत के लिए नया नहीं है। प्राचीनकाल में भी इस तरह के विवाह हुआ करते थे। इतिहास से मुगल कालीन भारत के ऐसे अनेक उदाहरण मिले हैं जिसमें मुगल शासक तथा राजपूत शासकों के घरानों में वैवाहिक सम्बन्ध था। किन्तु यह विवाह सामान्य प्रकार का न था। ऐसा विवाह छल, भय, स्वार्थ के कारण होता था। यह सब राजनीतिक विवाह था। उनमें धार्मिक समानता की भावना का अभाव होता था। सही अर्थ में अन्तर्जातीय विवाह वह विवाह है जिसमें दो विभिन्न जाति अथवा धार्मिक सम्प्रदाय के व्यक्ति एक दूसरे को समानता का दर्जा देते हुए स्वेच्छा से आपस में वैवाहिक सम्बन्ध कायम करें। इस तरह का विवाह सामान्य लोगों में कभी कभार हर युग में होता रहा है। आधुनिक युग में खासकर शहरों–नगरीय क्षेत्र में इस विवाह का प्रचलन सामान्य–सा हो गया है। यद्यपि कि आज भी इस तरह का विवाह बिरले होता है, पर समाज के लिए यह सामान्य घटना है। नगर का वातावरण कुछ इस तरह का है कि इसे वहाँ स्वी.ति मिल जाती है।***

कुंजीभूत शब्द– नगरीय समुदाय, अन्तर्जातीय विवाह, प्रचलन, प्राचीनकाल, वैवाहिक सम्बन्ध, धार्मिक समानता, भावना।

नगरों में अन्तर्जातीय विवाह को समर्थन मिलने का यह अर्थ हुआ इसके प्रति नगर में बुरी धारणा नहीं है। नगरों में किसी भी घटना आदि का देखने समझने का अपना ही ढंग होता है। देखने समझने का यह ढंग उनक जीवन स्तर, मानसिक स्तर, शिक्षा, आधुनिकता, तार्किक क्षमता, नये मूल्यों, आदि सभी से प्रभावित होता है। व्यक्ति पर सिर्फ उसका अपना विचार हावी होता है। समाज के उसके प्रति क्या दृष्टिकोण है, को महत्व नहीं दिया जाता है।

इस निवासियों के विचारों पर औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं पश्चिमीकरण का व्यापक प्रभाव पड़ा है। इसके कारण वे प्रत्येक सामाजिक घटना को नये तरीके से व्याख्या करते हैं। औद्योगिकरण वह दशा है जिसमें समाज में उद्योग धन्धा को प्रोत्साहन मिलता है। नये–नये कल कारखानों का निर्माण होता है। कुटीर उद्योग का महत्व कम हो जाता है, आयात–निर्यात की नीति अपनायी जाती है। सभी उद्योगों को खड़ा करने का उद्देश्य समाज सेवा कम आर्थिक लाभ अधिक होता है। इस कारण से औद्योगिक समाज में रहने पर व्यक्ति का विचार आदि भी उससे प्रभावित होता है। विवाह के प्रति उनके दृष्टिकोण को औद्योगिकरण ने बदल दिया है। औद्योगिकरण के कारण नगरीकरण होता है। नगरों में विभिन्न प्रकार के लोग साथ आकर निवास करते हैं। गाँव की तुलना में पास–पड़ोस में अपने रिश्तेदार नहीं रहते हैं, अपितु अजनबी रहते हैं। शहरों में पड़ोसी को नहीं जानने का कारण यह भी होता है। किन्तु युवा ह्रदय इस मामले में थोड़ा संवेदनशील होते हैं। पास–पड़ोस के युवक–युवक तुलनात्मक रूप से एक दूसरे के ज्यादा करीब आ जाते हैं। ऐसे में प्रेम होना स्वाभाविक बात है।

नगरों में आ बसे लोग अपने ग्रामीण परिवार के संयुक्त स्वरूप स अलग होकर रहने आते हैं। संयुक्त परिवार में उनपर काफी बन्धन होता है। नगर में आकर उनकी प्रकृति स्वच्छ हो जाती है। स्वयं पर सामाजिक दबाव व बन्धन नहीं पाने की स्थिति में व्यक्ति मनचाहा कर लेता है। वहाँ बुजुर्गों का साम्राज्य नहीं होता है। अपरिचित का वातावरण रहने के कारण समाज के बाकी लोगों को इससे कोई मतलब नहीं रहता है कि युवक–युवती आपस में प्रेम कर रहे हैं या नहीं, उनकी शादी होगी या नहीं। इस सम्बन्ध ा में थोड़ी उदासीनता पायी जाती है। किन्तु कहीं–न–कहीं से अपने समाज से जुड़ते रहने के कारण युवक–युवती से सम्बन्धित रिश्तेदार तथा कुछ संवेदनशील व्यक्ति चौकन्ना हो जाते हैं। वे आधुनिक विचारधारा के साथ ही साथ सामाजिक मूल्यों और परम्पराओं के आलोक में इसकी व्याख्या करने लगते हैं।

समाज का विरोध मुख्यतः इस बात से होता है कि इनमें जातीय आधार पर ज्यादा का अन्तर तो नहीं है। यदि राजपूत, ब्राह्मण के बीच आपस में विवाह होता है तो उसे सामान्य रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। उच्च जाति तथा पिछड़ा वर्ग तथा निम्न जाति के बीच हुए वैवाहिक सम्बन्ध होने पर सामाजिक विरोध ज्यादा होता है। उच्च

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

जाति के लड़के निम्न जाति की लड़की से विवाह कर ले तब इस स्थिति में विरोध कम होता है पर यदि निम्न जाति का लड़का उच्च जाति की लड़की से विवाह कर लेता है, तब विरोध ज्यादा होता है। अक्सर हरिजन के साथ किसी भी विवाह का विरोध अधिक होता है तो इसका प्रमुख कारण यह होता है कि हरिजन को समाज में अभी भी हेय और अस्पृश्य समझा जाता है।

हिन्दू समाज में परम्परागत रूप से अन्तर्विवाह का प्रवचन है। इसे धर्म और शास्त्र सम्मत बताया गया है। सारे धर्मग्रन्थ अन्तर्जातीय विवाह का सामान्य रूप से विरोध करते हैं। इसके बाद भी अन्तर्जातीय विवाह का उल्लेख होता है। ऐसा विवाह अपवाद स्वरूप ही होता था। ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह तथा प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। अनुलोम विवाह वह विवाह है जिसमें उच्च वर्ग का वर निम्न वर की कन्या से विवाह करता है, जिसके विपरीत प्रतिलोम विवाह वह विवाह है जिसमें निम्न वर्ग के लड़के का विवाह उच्च वर्ग की कन्या के साथ होता है। प्राचीन भारतीय समाज में अनुलोम विवाह का प्रचलन था किन्तु बाद में जब जातीयता का बन्धन समाज पर जकड़ने लगा उस समय मनुस्मृति की रचना हुयी। उसे स्पष्ट रूप से अनुलोम विवाह पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। अनुलोम विवाह पर प्रतिबन्ध लगाते हुए यहां तक कह दिया गया कि यदि ब्राह्मण शुद्र के साथ सम्भोग मात्र कर ले तो उसका सारा धर्म व्यर्थ हो जाता है और वह नरक को प्राप्त होता है।

मनु–स्मृति की रचना सातवीं शताब्दी में हुयी। मनुस्मृति में एक सामाजिक संहिता का ग्रन्थ है। इसमें व्यक्ति तथा समाज के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, को विस्तारपूर्वक दिया गया है। इस ग्रन्थ ने अनुलोम अथवा प्रतिलोम दोनों प्रकार के विवाह पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इन दोनों विवाह का संयुक्त नाम अन्तर्जातीय विवाह है।

अन्तर्जातीय विवाह पर प्रतिबन्ध लगा देने के बाद समाज में इसका प्रचलन समाप्त सा हो गया। आज पुनः अन्तर्जातीय विवाह का प्रचलन हो गया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. जी०के० अग्रवाल : भारतीय सामाजिक संस्थाएँ
2. कुँवर सिंह तिलारा : नरीय समाजशास्त्र
3. सिंह, विरेन्द्र : नगरीय समाजशास्त्र
4. पाण्डेय, रामकवल : नगरीय समाजशास्त्र

*****